

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) बून्दी


—: आदेश :—

अंकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

क्र.सं.	नाम सर्व श्री	पद	कहां से	जिला	कहां को	जिला
1	रामस्वरूप मीणा	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	राउमावि घाट का बराना	बून्दी	राउमावि झा0 का बराना	बून्दी

संबंधित संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करे:-

1. संबंधित कार्मिक का परीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापकों को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

  
( तेज कंवर )

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय (माध्यमिक) बून्दी

क्रमांक: जिशिअ/मु/मा/बू/संस्था-1/फा-स्थानान्तरण/2019/347 दिनांक: 29.09.2019

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, महोदय माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, महोदय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक \_\_\_\_\_
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी \_\_\_\_\_
6. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि/रामावि \_\_\_\_\_
7. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_
8. व्यक्तिगत पंजिका श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

  
( तेज कंवर )

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय (माध्यमिक) बून्दी